न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 49/2017 ::

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

कपुराराम पुत्र गुणेशराम दमामी (ढोली), निवासी चमारो का बास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

1. ग्राम पंचायत सुमेरपुर मार्फत अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली
3. लक्ष्मीनाराण जोनवाल पुत्र धन्नाजी बैरवा (चमार) पंच चमारान निवासी चमारो का बास, पोस्ट ऑफीस के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली
4. नारायणलाल पुत्र रामलाल बैरवा (चमार) पंच चमारान निवासी चमारो का बास, पोस्ट ऑफीस के पास; सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली
5. देवाराम पुत्र पुनाजी बैरवा (चमार) पंच चमारान निवासी चमारों का बास, पोस्ट ऑफीस के पास, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री भैरूसिंह राजपुरोहित उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 श्री मोतीसिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 26/10/18

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 53/63–64 तारीख दायरा 21.08.1963 संकल्प संख्या शुन्य दिनांक 06.01.1964 के माध्यम से दिनांक 18.04.1964 को एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 02/63–64 ग्राम पचांयत सुमेरपुर द्वारा जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व नगर पालिका सुमेरपुर का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के जाति समाज के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आबादी भूमी का पट्टा संख्या 2/63–64, मिसल संख्या 53/63–64 दिनांक 06.01.1964 को राशि 5 रूपये 25 पैसे में पट्टा जारी किया गया। जिसका नाप 30 बाई 40 गज है। जो विधिक रूप से खारिज योग्य है। उक्त जैर निगरानी पट्टा एवं प्रस्ताव अवैधानिक रूप से नियमों को ताक में रखकर भूमी का बिना भौतिक सत्यापन व निरीक्षण कराये, बिना आवेदन प्राप्त किए, बिना निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क प्राप्त किए कार्यवाही कर मात्र 5.25 रूपये में पट्टा दिया गया है। तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन नहीं किया गया है। भूमी के संबंध में एक माह का आपत्ती इश्तिहार भी जारी नहीं किया गया है। किसी स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिए गए है। पट्टा जारी करते समय सुमेरपुर में ग्राम पंचायत थी एवं ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा विधी विरूद्ध तरीके से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी भी नियम की पालना नही कर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जो निरस्त किया जावे। पट्टा सार्वजनिक शीतला माताजी के मंदिर पंच चमारान बैरवा जाती के नाम जारी किया है, जबकि भूमी सार्वजनिक है तथा सार्वजनिक मंदिर का पट्टा किसी विशेष जाति समाज के पंचो के नाम बनया है जबकि रजिस्ट्रर्ड ट्रस्ट के नाम पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। मंदिर के चारों तरफ दुकाने आदि बना दी है जो किराये

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पर दी गई है। उस राशि का भी किसी प्रकार का हिसाब किताब नहीं है। लिहाजा पट्टा खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर शीतला माताजी का मंदिर निर्माण हो रखा है, वह बैरवा (चमार) समाज का है, जिसके पंचान द्वारा ही कई वर्षो पूर्व बनया गया था, हाल ही के वर्षो का नहीं है एवं पट्टा उसी मंदिर व निर्माण का 30 बाई 40 गज का सन् 1964 में बनाया गया है। उस समय सुमेरपुर में ग्राम पंचायत थी, वर्तमान में नगर पालिका है। तत्समय की पंचायत द्वारा पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियमों के तहत जारी किया गया था। जिसमें नियम 255 से 267 तक के नियमों के तहत जारी किया गया था। वकील प्रार्थी द्वारा नियम 144 से 157 तक के नियमों का निगरानी में उल्लेख किया है, वह सही नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है। प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से निगरानी लाने का अधिकार नहीं है। इसलिए भी निगरानी खारिज किया जाना न्यायोचित है। जैर निगरानी पट्टा सन् 1964 में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर राशि 5.25 रूपये जरिये रसीद न. 1669 दिनांक 09.01.1964 के राशि जमा कराने पर पट्टा जारी किया गया था। उक्त पट्टे को जारी किए गये 54 वर्ष हो चूके है तथा मंदिर पूर्व से ही बना हुआ है। इतनी लम्बी अवधी के पश्चात् निगरानी पट्टा खारिज करने हेतु पेश की गई है। उक्त विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया हे। यद्यपि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु म्याद का उल्लेख नहीं है, परन्तु जहां म्याद का बिन्दु नहीं होने का अर्थ यह तो नहीं है कि बिना किसी ठोस कारण के 50 वर्षो तक का विलम्ब भी अनदेखा कर लिया जाए तथा ऐसे अधिनियमों में धारा 137 के अनुसार अधिकतम 3 वर्ष का लिमीटेशन दिया है, तत्पश्चात पट्टे को प्रश्नगत किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टा सन् 1964 में ग्राम पचांयत सुमेरपुर द्वारा जारी किया गया था एवं वर्तमान में सुमेरपुर में नगरपालिका है। नगरपालिका द्वारा निगरानी से संबंधित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिससे अधिवक्ता उभयपक्ष के नियमों संबंधी तर्को का पुनरीक्षण कर पाना संभंव नहीं है, लेकिन विक्रय विलेख की प्रति के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 02 सार्वजनिक शीतला माताजी के मंदिर का पंच चमारान बैरवा जाती निवासी सुमेरपुर के नाम सन् 1964 में मिसल न. 53/63–64 कायम कर जारी किया गया था एवं तत्समय मंदिर निर्मित था तथा जरिए रसीद सं. 1669 दिनांक 09.01.1964 के पट्टे की राशि 5.25 रूपये वसूल कर जारी किया गया था। 1964 में जारी पट्टे को इतने लम्बे समय बाद प्रश्नगत किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा इतने लम्बे समयान्तराल के बाद बिना किसी ठोस वजह के भूमी का विक्रय विलेख खारिज किया जाना भी न्यायोचित नहीं है। इस बाबत निगरानीकर्ता को भी जानकारी लम्बी अवधी से है क्योंकि जैर निगरानी आराजी पर मंदिर बना हुआ है तथा निगरानीकर्ता द्वारा दिवानी वाद स्थाई व आज्ञापक निषेधाज्ञा का सन् 2011 में सिविल न्यायालय में पेश किया गया था जो 11.11.2011 को खारिज किया गया था तथा उसकी अपील भी माननीय अपर जिला न्यायाधीश सुमेरपुर के न्यायालय में दिनांक 21.08.2018 को अस्वीकार की गई थी। जो यह सिद्ध करता है कि प्रार्थी को जानकारी थी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 2 दिनांक 18.04.1964 जो सार्वजनिक शीतला माताजी के मंदिर पंच चमारान बैरवा जाति के नाम मिसल संख्या 53/63–64 कायम कर जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सुमेरपुर को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर
पाली (राज.)